

प्रेषक,

उदय राज सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तराखण्ड,
काशीपुर, उधमसिंहनगर।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग अनुभाग

देहरादून: दिनांक 12 अक्टूबर, 2021

विषय : चीनी मिल सितारगंज के पेराई सत्र 2021-22 में संचालन एवं अनुरक्षण किये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, देहरादून के पत्र संख्या-983/तकनीकी-48(iv)/2020-21 दिनांक 09.09.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मा0 मंत्रिमण्डल के निर्णय दिनांक 27.08.2021 के अनुपालन में राज्य की बंद पड़ी चीनी सितारगंज को पेराई सत्र 2021-22 में आउटसोर्स के माध्यम से संचालित एवं चीनी मिल का अनुरक्षण किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-17 के मुख्य लेखाशीर्षक 2401- फसल कृषि कर्म 00-आयोजनेत्तर 108-वाणिज्यिक फसलें 08-अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान 56- सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 245.00 करोड़ के सापेक्ष शासनादेश संख्या-309/XIV-2/2021/09(15)2017 टी.सी. II दिनांक 05.05.2021 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 198.64 करोड़ के पश्चात् अवशेष धनराशि रू0 46.36 करोड़ में से उक्त प्रयोजन हेतु स्वीकृत की गई धनराशि रू0 19.27 करोड़ (रू0 उन्नीस करोड़ सत्ताईस लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में **रू0 10.00 करोड़ (रू0 दस करोड़ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. के अनुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्ययक संबंधित नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) किसी भी दशा में उक्त धनराशि का दुरुपयोग न हो तथा मितव्ययता का ध्यान रखते हुए धनराशि उन्हीं कार्यों हेतु व्यय की जाएगी जिस हेतु निर्गत की जा रही है।
- (3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय का सतत् अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) धनराशि के व्यय का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए मासिक वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) प्रथम किस्त का मदवार व्यय विवरण सहित सदुपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही द्वितीय किस्त की धनराशि नियमानुसार अवमुक्त की जायेगी।
- (6) उक्त स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2022 तक पूर्णतः उपभोग कर लिया जाएगा, यदि स्वीकृत की जा रही धनराशि में से कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।


(7) वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-423 /9(150)2019/XXVII(1)/2021 दिनांक 31.03.2021 में उल्लिखित शर्तों/दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-17 के मुख्य लेखाशीर्षक 2401- फसल कृषि कर्म, 00-आयोजनेत्तर, 108-वाणिज्यिक फसलें, 08-अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान, 56- सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) मद के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त प्रथम किस्त की रू0 10.00 करोड़ की धनराशि को गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा आहरित कर यथाप्रकिया संबंधित चीनी मिल को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-58 XXVII(iv)/2021 दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,



(उदय राज सिंह)
अपर सचिव।

संख्या : / (1) / XIV-2 / 2021 / 9(15) / 2017 टी.सी. II तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- (2) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
- (3) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, देहरादून।
- (4) जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
- (5) निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- (6) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- (7) निजी सचिव, मा0 गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- (8) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- (9) सहायक गन्ना आयुक्त ऊधम सिंह नगर।
- (10) प्रधान प्रबंधक, सितारगंज चीनी मिल, ऊधम सिंह नगर।
- (11) वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- (12) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(संजय सिंह टोलिया)
संयुक्त सचिव।